मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला–अनूपपुर (म.प्र.) 484220
दूरभाष 07659–263787 ई मेल–setrgatps001@gmail.com

क्रमांकः 001–01 / प्रशिक्षण / 64 चचाई, दिनांक – 7 / 4 / 2022

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ग्रेज्यूएट / टेक्निशियन (डिप्लोमा) / आई.टी.आई. अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत संशोधित विज्ञापन

संदर्भः– 1) क्रमांक 001–01 / प्रशिक्षण / 3077, चचाई दिनांक– 15 / 02 / 2022 ।
2) क्रमांक 001–01 / प्रशिक्षण / 3076, चचाई दिनांक– 15 / 02 / 2022 ।

म.प्र. राज्य के शासकीय / अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग / पॉलिटेक्निक कालेजों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं / व्यवसायों (ब्रॉच / ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैः–

ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	03	01	01	01	.....	06
2	इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग	01	––	––	––	.....	01
3	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग	01	––	––	––	.....	01
	कुल	**05**	**01**	**01**	**01**	.....	**08**

डिप्लोमा अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	01	––	––	––	.....	01
2	इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग	01	01	––	––	.....	02
	कुल	**02**	**01**	––	––	.....	**03**

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	फिटर	03	02	02	01	––	08
2	टर्नर	01	01	01	––	––	03
3	वेल्डर	01	01	01	––	––	03
4	मोटर मैकेनिक	01	01	01	––	––	03
5	इलेक्ट्रीशियन	03	02	02	02	01	10
6	वायरमैन	01	01	––	––	––	02
	कुल	10	08	07	03	01	29

नोटः–

i. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा दिये गये पते पर भेजें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.04.2022 है।

ii. विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तेः–

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।

(अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री।

(ब) टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस – म.प्र.तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।

(स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस – शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता–

(अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेंरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नही होगी।

04. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की जावेगी।

06. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय समय पर अपना ई–मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in भी देखते रहे।

07. अनु.जाति/अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

08. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म.प्र.पा.जन.कं.लि., चचाई अपने पास सुरक्षित रहेगा।

09. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा।

10. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षु को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं आधार की फोटो प्रति 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।

12. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in/carreers.html पर उपलब्ध है।

13. आरक्षण एवं आयु में छूटः–

i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्लु.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. सवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नही होते है तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गो से भरा जा सकेगा।

ii. सभी वर्गो में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 10.04.2022 के आधार पर की जावेगी।

iii. सामान्य वर्गो के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.प.वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

iv. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

14. चयन प्रक्रिया :–

i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावगी। तत्पश्चात, म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृह, चचाई द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई. में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत के आधार और ग्रेज्युएट(डिग्री)/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस हेतु डिग्री/डिप्लोमा में सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) के अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।

ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।

iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

15. स्टाईपेण्ड :–

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार हैः–

क्र.	आर्हता	मसिक स्टाइपेण्ड (रू0 में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	7700/–
2	दो वर्षीय आई.टी.आई.	8050/–
3	टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस	8000/–
4	ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस	9000/–

नोटः– इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नही होगी।

16. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानकः–

i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधारा पर ही किया जावेगा।

ii. दिव्यांग उम्मीदवार को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40 अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोडकर अन्य ट्रेड में दिव्योंगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

17. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तेः–

i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।

ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नही करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।

iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानो के आधार पर किया जावेगा।

v. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

vi. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

vii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।

viii. म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढाने का अधिकार होगा।

ix. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

x. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और नही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

xi. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकाश एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।

18. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय–अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण), अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई जिला–अनूपपुर (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेशित करना होगा।

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पॉ0ज0कं0लि0, चचाई

मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला–अनूपपुर (म.प्र.) 484220
दूरभाष 07659–263787 ई मेल–setrgatps001@gmail.com

क्रमांकः 001–01 / प्रशिक्षण / चचाई, दिनांक – / /2022

.....शाखा के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण)
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई

शाखा .....

1. वर्ग– .....
2. आवेदक का पूरा नाम .....
3. पिता / पति का नाम .....
4. लिंग (महिला / पुरूष) .....
5. जन्म तिथि .....
6. पत्र व्यवहार का पता .....
7. मोबाइल नम्बर .....
8. क्या अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / दिव्यांग में आते है यदि हॉ तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
9. क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है यदि हॉ तो उसका विवरण .....
10. शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी योग्यताः–

परीक्षा / शाखा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियॉ)

1. मूल निवास प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (अजा / अजजा / अपिव) / विकलांगता प्रमाण पत्र
4. आईटीआई प्रमाण पत्र
5. जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं कक्षा की अंकसूची

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै .....आत्मज .....प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है। असत्य / अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र. पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मै जिम्मदार रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर